

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर
जिला हनुमानगढ

जयकरण

बनाम

श्योंनारायण

किस्म मुकदमा , 88 ,188, आर.टी.एक्ट. नम्बर 121 सन-2022

पे. रा

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारीख
26.05.2022	वादी की और से वाद पत्र जरिये अधिवक्ता पेश किया गया जिस पर सिगेदार की रिपोर्ट हो चुकी है वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 13.06.2022 को पेश हो।	
13/6/22	वादी की गुरिश्त पुलिसवादी संख्या-1 की और से पुलिसवादी सुमर बुधिनकर गुरिश्त कवायतबनाम उंग वाद वादी से वाद का खीकार कर सुविगत पेश किया माध्यवकी से गवायत उंग कि पत्रावली वास्तु कसु दिनांक 16/6/22 को पेश हो।	
16/6/22	खुलाम करिये गुरिश्त कसु हेतु लमम चाहा पत्रावली वास्तु कसु दिनांक 15/7/22 को पेश हो	
15/7/22	पत्रावली पेश हुई खीकार वादी ने निवेदन किया की वह अपना वाद नहीं चलायें चाहेतु खारिज करमावे। वादी लमम से दस अपना वाद वादी चलायें वे खारिज करिये किमा वादी पत्रावली दिनांक 15/7/22 को पेश हो।	वादी चलायें नहीं चाहेतु खारिज करिये 15/7/22

उपखण्ड अधिकारी
नोहर